राजस्थान विधान सभा

दशम् सत्र

कार्य-सूची

गुरूवार, दिनांक 14 मार्च, 2013

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

(I) राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री सी.एल.प्रेमी, सदस्य, विधान सभा, श्री केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल, जिला-बूंदी के पुनर्संचालन के संबंध में सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(II) राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री बाबूसिंह राठौड़, सदस्य, विधान सभा, प्रचेता पद पर कार्यरत महिलाओं को राज्य कर्मचारियों के समान वेतन, भत्ते एवं अन्य लाभ देने के संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

3. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे

I- श्री शांती कुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम,1973 की धारा-12(4) के अन्तर्गत लोकायुक्त, राजस्थान का 26वां वार्षिक प्रतिवेदन (01.04.2010 से 31.3.2011) मय स्पष्टीकारक ज्ञापन एवं 27वां वार्षिक प्रतिवेदन (01.04.2011 से 31.3.2012) मय स्पष्टीकारक ज्ञापन सदन की मेज पर रखेंगे ।

II- डॉ. जितेन्द्र सिंह, ऊर्जा मंत्री , विद्‌युत अधिनियम, 2003 की धारा- 104(4) के अन्तर्गत राजस्थान विद्‌युत विनियामक आयोग के वर्ष 2010-2011 के लेखों की ऑडिट रिपोर्ट एवं उस पर टिप्पणी सदन की मेज पर रखेंगे ।

4. याचिकाओं का उपस्थापन

1- श्री बाबूसिंह राठौड़, सदस्य, विधान सभा, निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे:-

I- बजट भाषण 2013-2014 में की गई घोषणानुसार विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करवाने बाबत ;

II- बजट भाषण 2013-2014 में की गई घोषणानुसार विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में पशु चिकित्सालय को प्रथम श्रेणी चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने एवं पशु उप केन्द्र को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करवाने बाबत ; एवं

III - बजट भाषण 2013-2014 में की गई घोषणानुसार विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करवाने बाबत ।

जारी..2..

2- श्री फूलचन्द भिण्डा, सदस्य, विधान सभा, निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे:-

I- विराट नगर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बागावास चौरासी के माध्यमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करवाने बाबत ; एवं

II- विराट नगर विधान सभा क्षेत्र के गांव भाखरी में पशु चिकित्सालय खोलने बाबत ।

3- श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा), सदस्य, विधान सभा, कस्बा – नदबई (भरतपुर) में बाईपास (आर.ओ.बी.) निर्माण करवाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगी ।

5. विधायी कार्य

पुर:स्थापित किया जाने वाला विधेयक

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

(I) श्री ऐमादुद्दीन अहमद खान (दुर्रू मियां), प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्या-14)	"राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 को संशोधित करने के लिये विधेयक ।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

6. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2013-2014

द्वितीय अवस्था

अनुदान की मांग पर विचार एवं मतदान

अनुदान की मांग संख्या – 24 - शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर विचार एवं मतदान होगा ।

(कटौती प्रस्ताव जो पृथक से वितरित किये जा चुके हैं/रहे हैं, प्रस्तुत किये जायेंगे)

पी.के.शास्त्री
विशिष्ट सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर ।
दिनांक : 13 मार्च, 2013